राजेश कुमार, भा०प्र०से०, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा दिनांक-30.10.2025 को आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया का किये गये निरीक्षण टिप्पणीः-

परिचय :- पूर्णिया प्रमंडल की स्थापना 14 जनवरी 1990 ई० में हुआ। इसे बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित चार जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, और किशनगंज को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रमंडल को कोशी प्रमंडल से पृथक कर बनाया गया है। मिथिलांचल के पूर्वी भाग में स्थित इस क्षेत्र को सीमांचल के नाम से भी जाना जाता है। यह 25.78^0 N अक्षांश एवं 87.47^0 E देशांतर पर अवस्थित है। यह क्षेत्र आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। पूर्णिया प्रमंडल के विभिन्न जिला अंर्तराज्यीय सीमा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल को भी स्पर्श करती है। इसकी भौगोलिक सीमायें उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड तथा भागलपुर, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में मधेपुरा एवं सुपौल जिला अवस्थित है। इस प्रमंडल का लगभग क्षेत्रफल 10,163 वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया प्रमंडल की जनसंख्या लगभग 1.08 करोड़ है। इस क्षेत्र में प्रमुख नदियों के रूप में गंगा, महानंदा, कोशी, बकरा, परमान, कनकई, पनार इत्यादि नदियाँ बहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह क्षेत्र पूर्ण अरण्य था, इसलिए इसका पूर्व नाम पुरैनियाँ था। कालांतर में पुरैनियाँ से पूर्णिया के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पूर्णिया प्रमंडल की माटी से अनेक बौद्धिक चिंतक साहित्यकार, रचनाकार इत्यादि पैदा हुए जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु, अनूपलाल मंडल इत्यादि प्रमुख है। इस क्षेत्र के पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल में माँ पूरनदेवी, पूर्णिया सिटी, कामाख्या मंदिर हरदा, कटिहार का प्रसिद्ध लक्ष्मीपुर का गुरूद्वारा, किशनगंज का सूफी संत कमली साह का मजार, जलालगढ़ का किला, काझा कोठी, गोगाबील पक्षी विहार झील, गिरजाघर एवं अररिया का परमान डॉल्फीन अभ्यारण्य इत्यादि प्रसिद्ध हैं। पूर्णिया प्रमंडल अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया तथा किशनगंज जिला की स्थापना क्रमशः 1770, 1976, 1990, तथा 1990 ई० में हुई है। पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों का संक्षिप्त इतिहास निम्न हैः-

(i) **पूर्णियाः-** इस जिले के उत्तर में अररिया तथा किशनगंज, दक्षिण में भागलपुर तथा कटिहार, पूरब में दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) तथा पश्चिम में मधेपुरा जिला है। कृषि में धान के अतिरिक्त गेहूँ दाल, मक्का, तिलहन और तंबाकू भी पैदा होती है। इस जिले का क्षेत्रफल 3229 वर्ग कि०मी० है। तेरहवीं सदी में पूर्णिया गुलाम वंश के अधीन था। 1722 में सैफ खाँ (फौजदार) ने पूर्णिया की रक्षा के लिए जलालगढ़ का किला बनवाया। जिसका अवशेष आज भी देखने को मिलता है। आधुनिक इतिहास के अनुसार 1770 ई० को पूर्णिया जिले का गठन हुआ और इसके प्रथम कलेक्टर डुकारेल बने। वर्ष 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था के अंतर्गत पूर्णिया में 36 बड़ी जमीन्दारियाँ एवं अनेक छोटी-छोटी जमीन्दारियाँ बनी। कालांतर में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। लेकिन आज भी पूर्णिया सिटी, बनैली इत्यादि की विशाल हवेलियाँ के भग्नावेष के रूप में विद्यमान है। पूर्व में पूर्णिया को पूर्णिया हाट, बाजार और मेले के रूप में एक विशिष्ट पहचान मिली थी जिसमें गढ़बनैली, गुलाबबाग इत्यादि मेला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हालांकि आज के दिनों में मेलों की स्थिति मृतप्राय हो चुकी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णिया के सपूतों ने अपनी भागीदारी को अविस्मरणीय बनाया। गाँधीजी के दांडी मार्च के अवसर पर पूर्णिया के 716 आंदोलनकारियों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दी। अगस्त क्रांति (1942) में भी पूर्णिया के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्णिया को गोकुल कृष्ण आश्रम, रूपौली प्रखंड में टीकापट्टी में स्थित गाँधी आश्रम, रानीपतरा इत्यादि आज भी आजादी की लड़ाई की याद

दिलाती है। पूर्णिया जिले की मुख्य नदियाँ पनार, सौरा, कारी इत्यादि हैं। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा पटना से पूर्णिया तक एक्सप्रेस वे प्रस्तावित किया गया है। इससे पटना से पूर्णिया तक आवगमन और सुलभ हो जाएगा। विगत माह में चूनापुर में हवाई अड्डा, का निर्माण किया गया है। यह हवाई अड्डा कोलकाता, अहमदाबाद, और दिल्ली जैसे शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा प्रदान करता है।

(ii) **कटिहारः-** पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित कटिहार एक ऐतिहासिक स्थल है। त्रिमोहिनी संगम, बाल्दीबाड़ी, गोगाविल झील, नवाबगंज, मनिहारी, कल्याणी झील इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गाँव के एन0एच0-31 का रास्ता त्रिमोहिनी संगम की ओर जाती है। जहाँ तीन नदियों का संगम है, जिसमें प्रमुख रूप से गंगा और कोशी का मिलन है। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड में सिक्खों के नवें गुरू तेगबहादुर की याद में एक भव्य गुरूद्वारा (लक्ष्मीपुर गाँव) में स्थित है। जिला मुख्यालय से लगभग 06 कि0मी0 की दूरी पर शांति टोला, फसिया में 200 वर्ष पुराना मंदिर भी है, जिसे मुहंत स्थान के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के समीप स्थित मनिहारी से लगभग 2.5 कि0मी की दूरी पर बाल्दीबाड़ी गाँव स्थित है। इस जगह पर बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला एवं पूर्णिया के गर्वनर शौकतजंग के बीच 1756 में एक युद्ध हुआ था जिसे मनिहारी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। मनिहारी से लगभग 3 कि0मी0 की दूरी पर नवाबगंज गाँव पूर्णिया के गर्वनर शौकतजंग के पुराने सिंहासन के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले के मनिहारी प्रखंड में एक खूबसूरत विशाल गोगाबिल झील है, जो एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य के रूप में है। पूर्णिया साहेबगंज फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड जाने के लिए मनिहारी गंगा में एल0टी0सी0 सेवा उपलब्ध है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3057 वर्ग कि0मी0 है। यहाँ की मुख्य नदियाँ महानंदा, गंगा, कोशी, रीघा इत्यादि है।

(iii) **अररियाः-** इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2830 वर्ग कि0मी0 है। इस जिले से कंचनजंघा (हिमालय श्रेणी की महान चोटियों में से एक) का दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कोशी, काली, परमार, बकरा, इत्यादि है। यहाँ मुख्य रूप से धान, मक्का और जूट उपजाई जाती है।

(iv) **किशनगंजः-** बंगाल, नेपाल और बंगलादेश की सीमा से सटा किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमंडल हुआ करता था। 14 जनवरी 1990 को इसे पूर्ण रूप से जिला घोषित कर दिया गया। पर्यटन की दृष्टि से खगड़ा मेला, नेहरू शांति पार्क, चुर्ली किला इत्यादि प्रसिद्ध जगह है। यहाँ से पानी घाट, गंगटोक, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग इत्यादि पर्यटन स्थल कुछ ही दूरी पर स्थित है। अधिकांश निवासी सूर्यापुरी भाषा बोलते हैं। इस जिले के कोचाधामन प्रखंड के बोहिता गाँव में मशहूर फकीर सूफी शाह मो0 वजीर अली का एक पुराना मजार है। इस जिले की प्रमुख नदियाँ कनकई, मेची, डोंस इत्यादि यहाँ की भूमि को अधिक उपजाऊ बनाता है।

कार्यालय भवन :- पूर्व में आयुक्त कार्यालय गिरजा चौक के निकट अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पूर्णिया के भवन में संचालित किया जा रहा था। वर्तमान में आयुक्त कार्यालय मरंगा रोड स्थित अपने निज भवन में वर्ष 2007 से संचालित है। इस भवन का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2021-22 में किया गया है।

पूर्णिया प्रमंडल का प्रशासनिक व्यवस्था

जिला	अनुमंडल	प्रखंड एवं अंचल	पंचायत	राजस्व ग्राम	विधान सभा संख्या	लोक सभा संख्या
पूर्णिया	04	14	246	1226	07	01
कटिहार	03	16	238	1547	07	01

अररिया	02	09	218	751	06	01
किशनगंज	01	07	126	802	04	01
कुल :-	10	46	828	4326	24 ·	04

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया का पदस्थापन सूची

क्र0	नाम	पदस्थापन अवधि
1	श्री मदन मोहन सिंह, भा0प्र0से0	14.1.90 से 29.8.90
2	श्री अनुप मुखर्जी, भा0प्र0से0	30.8.90 से 21.10.90
3	श्री चिन्तु नायक, भा0प्र0से0	22.10.90 से 21.9.92
4	श्री वी0 जयशंकर, भा0प्र0से0	26.10.92 से 8.12.92
5	श्री के0 सी0 साहा, भा0प्र0से0	9.12.92 से 16.9.93
6	श्री ए0 सी0 विश्वास, भा0प्र0से0	19.9.93 से 22.5.95
7	श्री ए0 सी0 रंजन, भा0प्र0से0	23.5.95 से 10.7.95
8	श्री ए0 सी0 विश्वास, भा0प्र0से0	10.7.95 से 17.9.95
9	श्री अशोक कुमार सरकार, भा0प्र0से0	18.9.95 से 29.5.96
10	श्री ए0 सी0 रंजन, भा0प्र0से0	30.5.96 से 31.10.96
11	श्री अशोक कुमार चौहान, भा0प्र0से0	1.11.96 से 30.6.97
12	श्री ए0 सी0 रंजन, भा0प्र0से0	1.7.97 से 29.9.97
13	श्री विजय प्रकाश, भा0प्र0से0	29.9.97 से 19.1.98
14	श्री अंजनी कुमार सिंह, भा0प्र0से0	19.1.98 से 15.6.98
15	श्री अमिताभ वर्मा, भा0प्र0से0	16.6.98 से 22.9.98
16	सुश्री अमिता पाल, भा0प्र0से0	5.10.98 से 5.5.99
17	श्री मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, भा0प्र0से0	5.5.99 से 31.7.02
18	श्री सी0 ललसोता, भा0प्र0से0	1.8.02 से 28.2.04
19	श्री जयराम लाल मीणा, भा0प्र0से0	28.2.04 से 7.7.06
20	श्री आर0 के0 खंडेलवाल, भा0प्र0से0	7.7.06 से 30.5.2009
21	श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0	2.06.09 से 11.07.2010
22	श्री ब्रजेश मेहरोत्र, भा0प्र0से0	13.07.2010 से 15.01.2013
23	श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0	17.01.2013 से 11.06.2014
24	श्री रामरूप सिंह, भा0प्र0से0	11.06.2014 से 21.10.2014
25	श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0	22.10.2014 से 07.07.16
26	सुश्री टी0 एन0 बिन्धेश्वरी, भा0प्र0से0	07.07.16 से 01.06.18
27	डॉ0 सफीना ए0 एन0, भा0प्र0से0 (97)	04.06.18 से 19.02.19
28	डॉ0 सफीना ए0 एन0, भा0प्र0से0 (97)	20.02.19 से 05.01.21
29	श्री राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0 (2005)	06.01.21 से 31.07.21
30	श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (2000)	01.08.21 से 30.08.21
31	श्री राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0 (2005)	31.08.21 से 08.04.22
32	श्री गोरखनाथ, भा0प्र0से0 (2006)	03.05.22 से 31.12.22
33	श्री मनोज कुमार, भा0प्र0से0	01.01.2023 से 29.01.2024
34	श्री संजय दूबे, भा0प्र0से0	29.01.2024 से 31.12.2024
35	श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0	19.01.2025 से

2. पूर्व में निरीक्षण :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण तिथि

1	श्री गोरखनाथ, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया	29.06.2022

शाखा का गठन :- प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में कार्यों को संपादित करने हेतु कुल 05 प्रशाखा गठित की गई है जो निम्नवत् है :-

1. सामान्य/स्थापना/गोपनीय प्रशाखा
2. विकास/आपूर्ति प्रशाखा
3. राजस्व प्रशाखा
4. निर्वाचन एवं कल्याण प्रशाखा
5. लोक सेवा प्रशाखा एवं सूचना का अधिकार

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

3. स्वीकृत बल :- स्वीकृति बल एवं कार्यरत बल की स्थिति इस प्रकार है :-

	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1. आयुक्त के सचिव	01	01
2. प्रधान आप्त सचिव	01	00
3. प्रशाखा पदाधिकारी	06	03
4. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	20	12
5. उच्चवर्गीय लिपिक	02	00
6. आशुलिपिक	02	00
7. निम्नवर्गीय लिपिक	02	02
8. कार्यालय परिचारी	05	02
9. फरास-सह-झाड़ूकश	01	01

आयुक्त कार्यालय में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, का पद भी स्वीकृत है। निर्वाचन विभाग के ज्ञापांक-5130, दिनांक-24.10.2025 के आलोक में उक्त पद श्री दिनेश लाल दास, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा प्रमंडल, सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में हैं।

इसके अलावे 01 उच्चवर्गीय लिपिक, 03 निम्नवर्गीय लिपिक, 06 कार्यालय परिचारी प्रमंडलान्तर्गत जिलों से प्रतिनियुक्त हैं।

4. नजारत :- नजारत में एक सामान्य रोकड़ बही तथा 06 सहायक रोकड़ बही संधारित किया जाता है। दिनांक 29.10.2025 को सामान्य रोकड़ बही की विवरणी निम्नांकित है :-

क्र0	सहायक रोकड़ बही	अंतः शेष राशि
1	2053 जिला प्रशासन	869336.54
2	2029/भू-राजस्व	5300.00
3	सूचना का अधिकार	9841.50
4	विविध	123466.65
5	2015 निर्वाचन	शून्य
6	2055 पुलिस	शून्य

Cash Details :-

क्र0	बैंक शाखा का नाम	खाता का प्रकार	खाता नं0	सन्निहित राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, पूर्णिया	चालू खाता	10954138860	56626.00
2	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, पूर्णिया	बचत खाता	30322963258	8937
3	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, पूर्णिया	चालू खाता	10954136884	8,69,768.91

4	सामान्य अग्रिम	-	-	24627.00
5	कैश इन हैंड	-	-	47985.78

प्राप्त पत्रों की पंजी :- दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 29.10.2025 तक कुल 9548 पत्र प्राप्त हुए हैं।

निर्गत पत्रों की पंजी :- दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 29.10.2025 तक कुल 6297 पत्र निर्गत किये गये हैं।

अनुक्रमण पंजी :- संधारित है।

उपस्थिति पंजी :- संधारित है।

आकस्मिक अवकाश पंजी :- संधारित एवं सत्यापित है।

सेवापुस्त :- कर्मियों को सेवापुस्त संधारित एवं अद्यतन है।

कर्म पुस्तिका (Log Book) :- सभी कर्मियों यथा सहायक एवं लिपिकों का अलग-अलग कर्म पुस्तिका संधारित है। इनका जाँच निरंतर अवधि में प्रशाखा पदाधिकारी एवं अन्य वरीय पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

पटलवार निष्पादित कार्यों की स्थिति निम्नवत पाई गईः-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/मद्यनिषेध, निबंधन एवं उत्पाद विभाग/खान एवं भूतत्व विभागः-

कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम :- श्री नवनीत कुमार

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 29.10.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-536
- कुल निष्पादित पत्र-526 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- लंबित-10

→ राजस्व शाखा द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेख/पत्र पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति-

1. किशनगंज जिलान्तर्गत लोहागाड़ा राजस्व हाट सैरात की वित्तीय वर्ष-2023-24 एवं 2024-25 के लिए की गई बंदोबस्ती के संबंध में मूल अभिलेख उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को प्रेषित।
2. पूर्णिया जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए कुल 03 (तीन) बंदोबस्त सैरात, यथा धमदाहा राजस्व हाट(धमदाहा), जानकी नगर बस पड़ाव(बनमनखी), अंदेली हाट(पूर्णिया पूर्व) की बंदोबस्ती के स्वीकृति के संबंध में मूल अभिलेख अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।
3. पूर्णिया जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए धमदाहा गुदरी राजस्व हाट के बंदोबस्ती की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा प्रदान करते हुए मूल अभिलेख समाहर्त्ता, पूर्णिया को प्रेषित।
4. किशनगंज जिलान्तर्गत फुलवरिया राजस्व हाट सैरात की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की गई बंदोबस्ती के स्वीकृति के संबंध में मूल अभिलेख अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।
5. कटिहार जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए कुल 04 (चार) बन्दोबस्त सैरात यथाः-पोठिया राजस्व हाट(फलका), श्यामागढ़ हाट सोनैली (कदवा), सालमारी राजस्व हाट (आजमनगर) एवं बलरामपुर राजस्व हाट (बलरामपुर) की बंदोबस्ती की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को प्रेषित।
6. कटिहार जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बन्दोबस्त फलका राजस्व हाट सैरात (फलका) की बंदोबस्ती की घटनोत्तर स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा प्रदान करते हुए मूल अभिलेख समाहर्त्ता, कटिहार को प्रेषित।
7. किशनगंज जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए मटियारी राजस्व हाट सैरात का अभिलेख के प्रेषण के संबंध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को प्रेषित।
8. किशनगंज जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए खगड़ा मेला सैरात का अभिलेख प्रेषण के संबंध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को प्रेषित।

9. अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र जो राजस्व महा अभियान-16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 के संचालन से संबंधित है,·को सफलतापूर्वक संचालन हेतु ज्ञाप-प्रारूप समाहर्त्ता, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को प्रेषित।

10. पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

लोक शिकायत निवारण/गृह विभागः-

कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नामः-श्री अजय कुमार

- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 7(1) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त होते है। इस वर्ष दिनांक 01.01.2025 से 29.10.2025 तक बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 7(1) के तहत कुल 281 आवेदकों के अपील आवेदन प्राप्त हुए है। जिसकी विवरणी निंम्नवत है :-

क्र0	तिथि	प्राप्त अपील आवेदन	निष्पादित अपील आवेदन	लंबित अपील आवेदन	अभ्युक्ति
01	01.01.2025 से 29.10.2025	281	250	31	सभी लंबित 31 अपील आवेदन प्रक्रियाधीन है।

- वर्तमान में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 7(1) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिये गये Type-II Conditional Order की सारी संचिकाओं को संचिकाबद्ध किया जा रहा है।
- कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली संबंधित विभिन्न जिलों से Form 18 में प्रतिवेदन को समेकित रूप से संकलित किया जा रहा है।
- गृह विभाग से संबंधित विधि-व्यवस्था से संबंधित सभी बैठकों हेतु जिलों के प्रतिवेदन के आधार पर समेकित रूप से संकलित किया जा रहा है।
- DLOC की मासिक बैठक के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।
- विभिन्न पूजा-पाठ में विधि-व्यवस्था से संबंधित बैठक हेतु Agenda तैयार किया जाता है।
- आम जनता द्वारा समर्पित सभी आवेदन संचिका में प्रक्रियाधीन है।

सभी कल्याण विभाग/आपदा प्रबंधन/कला एवं संस्कृति विभाग/उद्योग/गन्ना विभाग

कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारीः-सुश्री करिश्मा कुमारी

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 29.10.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-540
- कुल निष्पादित पत्र-539 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- प्रक्रियाधीन-01
  - महिला पर्यवेक्षिका का ACP/MACP से संबंधित संचिका उपस्थापित (प्रक्रियाधीन)।
  - डॉ0 भीमराव अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान अंतर्गत प्रमंडलान्तर्गत सभी जिलों से प्राप्त हुए Feedback समेकित कर मुख्य सचिव, बिहार, पटना को प्रेषित।
  - आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित बाढ़ के दौरान निजी देशी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दर का निर्धारण एवं आवश्यक निजी नावों को रखने हेतु संख्या निर्धारण किया जा चुका है।
  - पटल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन रक्षी संचिका में किया जाता है।

राजपत्रित स्थापना/अभियंत्रण/नगर विकास एवं आवास विभागः-

कार्यवाह (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- सुश्री नंदनी कुमारी

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 29.10.2025 तक की स्थितिः-

- कुल प्राप्त पत्र-509
- कुल निष्पादित पत्र-495 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- लंबित-14

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

- प्रमंडलान्तर्गत सभी जिलों से प्राप्त मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्राप्त प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 2.5 करोड़ से अधिक स्वीकृति से संबंधित प्राक्कलन मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को पत्र के माध्यम से भेजी गई।
- नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित प्राप्त सभी परिवाद पत्र का ससमय निष्पादन किया गया।

अभियंत्रण विभाग :-

अभियंत्रण विभाग से संबंधित प्राप्त सभी परिवाद पत्र का ससमय निष्पादन किया गया एवं विकासात्मक योजना से संबंधित बैठक संपन्न की गई।

राजपत्रित स्थापना :-

- राजपत्रित स्थापना से संबंधित पत्र जैसे जिला पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं जिला पदाधिकारी के अग्रिम मासिक भ्रमण एवं अन्य मामले के ससमय निष्पादन किया गया। इस से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।

मुख्यमंत्री समग्र विकास :-

- मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 03 प्रस्तावों का निष्पादन किया जा चुका है। आम जन से प्राप्त सभी आवेदन/शिकायत पत्रों का संचिका में उपस्थापित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

निर्वाचन/विपत्र/HRMS/CFMS/रोस्टर एवं अन्य

कार्यवाह (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- श्री दीनानाथ मंडल

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 29.10.2025 तक की स्थितिः-

प्राप्त पत्रों की संख्या	निष्पादित पत्रों की संख्या	लंबित/प्रक्रियाधीन पत्रों की संख्या
1066	1060 (सूचनार्थ पत्रों सहित)	06

निर्वाचन :-

- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 से संबंधित सभी कार्य किया जा रहा है।
- कोशी स्नातक निर्वाचक नामावली 2025 की तैयारी से संबंधित सभी कार्य किया जा रहा है।
- पंचायत/पैक्स/नगर निकाय चुनाव से संबंधित सभी कार्य किया जा रहा है।

विपत्र/ HRMS/CFMS:-

- सभी प्रकार के विपत्रों (नजारत शाखा से प्राप्त स्वीकृत्यादेश सहित) के नियमानुसार भुगतान संबंधी कार्य किया जाता है।
- HRMS/CFMS के Maker के रूप में नामित है।

रोस्टर :-

- आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों का उपस्थापन का कार्य।

क्षेत्रीय स्थापना/योजना एवं विकास/सहकारिता/मानवाधिकार एवं अन्य

कार्यवाह (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- श्रीमती रिया साह

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 29.10.2025 तक की स्थितिः-

प्राप्त पत्रों की संख्या	निष्पादित पत्रों की संख्या	लंबित पत्रों की संख्या
300	297	03

क्षेत्रीय स्थापना :-

- उग्र क्षांत से संबंधित संचिका उपस्थापित (प्रक्रियाधीन)।
- आम जन से प्राप्त सभी आवेदन/शिकायत पत्रें का संचिका में उपस्थापित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

राजस्व विभाग/जन शिकायत से प्राप्त आवेदन/परिवाद मांग पत्र, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा

कार्यवाह (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- श्री गोपाल कुमार गोपी

➢ राजस्व विभाग, माँग-पत्र, जन शिकायत एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण से संबंधित वित्तीय वर्ष-01.04.2025 से 29.10.2025 तक कुल-923 आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र प्राप्त हुए है। जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

क्र0 सं0	तिथि	प्राप्त आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र	निष्पादित आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र	लंबित आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र	अभ्युक्ति
01	01.04.2025 से 29.10.2025 तक	923	892	31	सभी लंबित 31 आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र प्रक्रियाधीन है।

➢ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा दिनांक-12.10.2025 को निर्धारित था। (परीक्षा के संशोधित तिथि-07.12.2025) जिस हेतु सभी आवेदक से परीक्षा फार्म जमा लिया गया है।

➢ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-912(25), दिनांक-15.04.2025 के आलोक में श्री विश्वनाथ दास, सेवानिवृत कार्यालय परिचारी के परिवाद पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक-4745, दिनांक-30.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित किया गया।

➢ राजस्व विभाग एवं जन शिकायत से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामले का निष्पादन संबंधित जिला से प्रतिवेदन प्राप्त कर किया गया एवं शेष का समीक्षा हेतु प्रक्रियाधीन है।

➢ जिलों से प्राप्त माँग-पत्र के विषयांकित मामले पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सादर प्रेषित किया गया है। वर्तमान में किसी प्रकार का माँग-पत्र लंबित नहीं है।

सूचना का अधिकार/सूचना एवं जनसम्पर्क/वन एवं पर्यावरण/खेल

कार्यवाह (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- श्री मनीष कुमार

➢ सूचना का अधिकार/सूचना एवं जनसम्पर्क/वन एवं पर्यावरण/खेल से संबंधित वित्तीये वर्ष- 01.04.2025 से 29.10.2025 तक कुल-370 आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र प्राप्त हुए है। जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

क्र0 सं0	तिथि	प्राप्त आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र	निष्पादित आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र	लंबित आवेदन पत्र/परिवाद पत्र/विभागीय पत्र	अभ्युक्ति

01	01.04.2025 से 29.10.2025 तक	370	350	20	सामान्य आवेदन-13, सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन-07

<u>ग्रामीण विकास विभाग/कृषि विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग:-</u>

कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी :- श्री रूपेश कुमार झा

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 29.10.2025 तक की स्थिति :-

- कुल प्राप्त पत्र-500
- कुल निष्पादित पत्र-457
- प्रक्रियाधीन-43 (सूचनार्थ पत्रों सहित)
- ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में प्राप्त मुख्य Feedback को संकलित कर मुख्य सचिव, बिहार, पटना के अवलोकनार्थ भेजी गई।
- पटल से संबंधित सभी परिवाद पत्रों का ससमय निस्तार हेतु आयुक्त महोदय से संचिका में आदेश प्राप्त करने के उपरांत संबंधित पदाधिकारी को नियमानुकूल कार्रवाई भेजा गया।
- आयुक्त महोदय के वृतांकित आदेश से संबंधित पत्र/परिवाद पत्र का ससमय निष्पादित किये जाने हेतु संचिका उपस्थापित की गई।

<u>आयुक्त न्यायालय से संबंधित कार्य</u>

कार्यवाह (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- श्री अब्दुल्लाह

लॉगबुक के अनुसार, दिनांक-01.04.2025 से 29.10.2025 तक की स्थिति:-

- कुल प्राप्त पत्र-567
- कुल निष्पादित पत्र-562
- लंबित-5
- आयुक्त न्यायालय में निम्न वादों का निष्पादन किया जाता है :-
  1. L.D. Appeal
  2. Service Appeal
  3. Arbitration
  4. Jamabandi Cancellation Revision
  5. Supply Revision/Appeal
  6. EC Act
  7. CCA Appeal
- माननीय न्यायालय से प्राप्त सभी सी0डब्लू0जे0सी0 संबंधी पत्रों का कार्यालय स्तर से कार्रवाई की जाती है।

<u>शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, बिहार विकास मिशन, निर्वाचन</u>

कार्यवाह (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी) :- श्री विश्वजीत आनंद

दिनांक-01.04.2025 से दिनांक-29.10.2025 तक कर्मपुस्तिका में प्राप्त पत्रों की स्थिति :-

प्राप्त पत्रों की संख्या	निष्पादित पत्रों की संख्या	लंबित पत्रों की संख्या
921	858	63

निष्पादित मुख्य कार्य

- नगरपालिका उप चुनाव 2025 प्रेक्षक नियुक्ति संबंधी कार्य (बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक-2301/28.05.2025 द्वारा मतदान दिनांक-28.06.2025 को प्रमंडल अंतर्गत कुल 06 जगहों पर सम्पन्न)
- पंचायत उप चुनाव 2025 प्रेक्षक नियुक्ति संबंधी कार्य (बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक-2606/09.06.2025 द्वारा मतदान दिनांक-07.07.2025 को प्रमंडल अंतर्गत कुल 45 जगहों पर सम्पन्न)
- पैक्स चुनाव 2025 प्रेक्षक नियुक्ति संबंधी कार्य (बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक-332/30.01.2025 से कुल 04 जगहों पर मतदान)
- स्वाबलंबी सहकारी समिति का चुनाव 2025 प्रेक्षक नियुक्ति संबंधी कार्य (बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रांक-1074/08.04.2025 से कुल 02 जगहों पर मतदान)
- जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समिति लि0 चुनाव 2025 प्रेक्षक नियुक्ति संबंधी कार्य (बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रंक-1082/08.04.2025 से कुल 02 जगहों पर मतदान)
- जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समिति लि0 चुनाव 2025 प्रेक्षक नियुक्ति संबंधी कार्य (बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्रंक-1718/09.05.2025 से कुल 01 जगह पर मतदान)
- चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया में रोगी कल्याण समिति के बैठकों के आयोजन संबंधी कार्य।
- न्यू स्टार हॉस्पिटल, जलालगढ़ एवं शिफा नर्सिंग होम, अमौर के फर्जी प्रमाण पत्र पर संचालित होने संबंधी परिवाद पत्र पर जाँच/सुनवाई संबंधी कार्य।

टिप्पणी :-

1. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्यालय के पंजियों के रख-रखाव, अभिलेखों के संधारण, संचिकाओं के निष्पादन, प्राप्त पत्रों पर अंतिम कार्रवाई समुचित ढ़ंग से किये जाने हेतु लगातार अनुश्रवण की आवश्यकता है। प्रशाखा पदाधिकारी एवं आयुक्त के सचिव लगातार अनुश्रवण कर कार्यालय की कार्य संस्कृति में सम्यक सुधार करेंगे।

2. संचिका के उपस्थापन के संबंध में निदेश दिया जाता है कि रोस्टर पंजी/अभिलेख आदि की स्वीकृति संबंधी कार्यालय टिप्पणी के प्रस्ताव में **"रोस्टर पंजी/ अभिलेख जाँचोपरांत सही पाया गया"** अवश्य अंकित हो, यह सुनिश्चित किया जाय। इसी प्रकार, विभिन्न प्रकार प्राक्कलनों की स्वीकृति से संबंधित कार्यालय टिप्पणी के प्रस्ताव में **"गणना जाँचोपरांत सही पाया गया"** अवश्य अंकित होना चाहिए।

3. सभी प्रशाखा में गार्ड फाईल विधिवत संधारण सुनिश्चित किया जाय। गार्ड फाईल में सभी अद्यतन प्रावधान एवं नियमावली का संधारण किया जाय। सभी प्रशाखा पदाधिकारी समय-समय पर गार्ड फाईल की जाँच करेंगे।

4. सभी प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि एक माह से अधिक समय के लंबित पत्रों अथवा संचिका का प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

5. कार्यालय कर्मियों के अनुमान्य वेतन आदि लंबित एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ पर विशेष ध्यान रखा जाय। इसमें किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न किया जाय।

6. एम0जे0सी0 तथा माननीय उच्च्व न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन की साप्ताहिक समीक्षा आयुक्त के सचिव के स्तर से की जाय। यह पाया जा रहा है कि माननीय उच्च्व न्यायालय, पटना के स्तर से पारित आदेशों के आलोक में आयुक्त न्यायालय में कई वाद लंबे अवधि से लंबित है। यह प्रशाखा पदाधिकारी, विधि शाखा एवं पेशकार की व्यक्तिगत जवाबदेही है कि ऐसे मामलों में Short date दिया जाय तथा नोटिस का तामिला कराकर विपक्षी की उपस्थिति/जवाब प्राप्त कर सुनवाई हेतु ऐसे वादों को Cause List में सबसे उपर सूचीबद्ध किया जाय। प्रशाखा पदाधिकारी, विधि शाखा को आदेश दिया जाता

है कि सभी लंबित मामलों की सूची विहित प्रपत्र में अद्यतन कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक सोमवार को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में स्वच्छ बिहार पोर्टल पर कार्यालय में साफ-सफाई एवं अभिलेखों से संबंधित रख-रखाव हेतु कार्रवाई में अभी तक कतिपय कमियाँ है। विगत कार्यालय के निरीक्षण के आलोक में रद्दीकरण योग्य सामग्रियों की नीलामी अभी तक नहीं हो सकी है। जो खेद जनक है। अतः अभियान चलाकर कार्यालय की साफ-सफाई सुनिश्चित कराते हुए फोटो स्वच्छ बिहार पोर्टल पर इस माह के अंत तक अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

8. कार्यालय आदेश ज्ञापांक-6230, दिनांक-22.10.2025 द्वारा Type-II Conditional Order [जिसमें लोक प्राधिकार के स्तर से निर्धारित समय सीमा में अनुपालन किया जाना है] की सूची तैयार करने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में पूरी सूची तैयार कर लोक प्राधिकार को अनुपालन हेतु पत्र भेजा जाय। इसकी समीक्षा 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से की जायेगी।

9. समीक्षा में यह पाया जा रहा है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से गंभीरता पूर्व कार्य नहीं किया जा रहा है। परिवाद के बिन्दुओं को लोक प्राधिकार के माध्यम से विधिसम्मत अनुपालन कराने के बजाए अनावश्यक कारण अंकित करते हुए निस्तार किया जाता है। जिसके कारण अपील आवेदनों की संख्या बढती है। इसके अतिरिक्त विगत समीक्षा में यह पाया गया की संबंधित PGRO के स्तर से निर्गत Type-II Conditional Order के समयवद्ध निस्तार के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। अतः प्रमंडलीय स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक की व्यवस्था की जाए। तथा अगले छः माह का रोस्टर तैयार का सभी पदाधिकारियों को बैठक के समय/तिथि की सूचना दी जाए। आई० टी० मैनेजर इसके नोडल होंगे।

10. प्रमंडलीय स्तर पर मासिक समन्वय, विकास, राजस्व एवं विधि-व्यवस्था की बैठक प्रत्येक माह को 1-10 तारीख के बीच का रोस्टर अगले 6 माह के लिए तैयार किया जाए। इसके अलावे प्रत्येक माह प्रमंडल स्तरीय सभी विभागीय पदाधिकारियों की भी बैठक की जाए। आयुक्त के सचिव इसके नोडल होंगे।

11. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1637(9)/रा०, दिनांक-03.06.2025 के आलोक में सभी अप्रैल एवं अक्टूबर श्रेणी के सैरात की बंदोबस्ती नियत तिथि के एक माह पूर्व सक्षम प्राधिकार के स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई जिला समाहर्त्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। एवं इसका सतत पर्यवेक्षण प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाना है। उक्त विभागीय निदेश के अनुपालन हेतु संबंधित पटल प्रभारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों की संचिका ससमय उपस्थापित नहीं की जाती है। अतः ऐसे सभी मामलों की संचिका नियत तिथि के दो माह पूर्व संबंधित समाहर्त्ता को ससयम कार्रवाई के आदेश के साथ अविलम्ब उपस्थापित की जाए।

12. प्रमंडलीय कार्यालय स्तर पर अधिसंख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिवाद पर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को पत्र भेजा जाता है। किन्तु प्रमंडलीय कार्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे समयवद्ध रूप से परिवाद का विधिसम्मत निस्तर सुनिश्चित किया जाए। यह पाया जाता है कि संचिका मात्र नये परिंवाद तथा स्मार परिवाद प्राप्त होने पर उपस्थापित की जाती है। पुराने परिवादों पर क्या कार्रवाई हुई इस संबंध में कभी-कभार ही संचिका उपस्थापित की जाती है। यह संबंधित पटल के प्रभारी लिपिक/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी के जिम्मेवारी है कि विभिन्न पदाधिकारी-वार प्राप्त मामलों में समय-समय पर स्मार दें। तथा तत्काल 06 माह से अधिक लंबित मामलों को संकलित करते हुए संबंधित समाहर्त्ता/पुलिस अधीक्षक/अन्य पदाधिकारी को पत्र भेजें। तथा इसकी समीक्षा आयुक्त के सचिव के स्तर से प्रतिमाह की जाए।

13. साथ ही सभी पटल के प्रभारी लिपिक/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मामलों के परिवाद को अलग से संचिका में एक सप्ताह के अन्दर उपस्थापित करें।

14. अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर विभिन्न विषयों पर समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है। उक्त समीक्षा बैठक की कार्यवाही निर्गत होने के उपरांत संबंधित कार्रवाई का अनुपालन की स्थिति से संबंधित संचिका नियमित रूप से उपस्थापित नहीं किया जाता है। सभी प्रशाखा पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि ऐसे सभी मामलों में 15 दिनों के अंदर अनुपालन/कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

15. राजस्व पर्षद के स्तर से नीलाम पत्र वाद एवं राजस्व न्यायालय के कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। समाहर्त्ता एवं राजस्व पदाधिकारी के स्तर से नीलाम पत्र वादों/राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तार तथा निलाम पत्र वादों में राशि की वसूली की कार्रवाई में प्रगति लाया जाना है। तथा पुलिस अधीक्षक के स्तर पर नीलाम पत्र वाद से संबंधित BW/DW का त्वरित निष्पादन किया जाना है। इस मामले में राजस्व पर्षद काफी गंभीर हैं। राजस्व पर्षद के स्तर से समय-समय पर आवश्यक निदेश प्राप्त होते रहते हैं। किन्तु ऐसा पाया जाता है कि कार्यालय के स्तर पर इस मामले में आवश्यक गंभीरता का अभाव पाया जाता है। अतः प्रशाखा पदाधिकारी, राजस्व को निदेश दिया जाता है कि इस मामले में साप्ताहिक रूप से प्रगति की समीक्षा की जाय तथा कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए अलग से पत्र भेजने हेतु प्रेत्यक सोमवार को संचिका उपस्थापित की जाए।

16. प्रमंडलीय कार्यालय के स्तर पर सभी जिलों के मुख्य समाचार पत्र के प्रेस कतरन को डाक में देने की व्यवस्था लागू कर ली गयी है। इसमें प्रमुख खबरों को चिन्हित करते हुए संचिका में उपस्थापित करने की व्यवस्था लागू की जाय। तथा जिन मामलों में पूर्व में कार्रवाई का निदेश दिया गया है ऐसे सभी मामलों की संचिका 15 दिनों के अन्दर उपस्थापित की जाय। इसके नोडल आयुक्त के सचिव होंगे।

ह0/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक-6326/ पूर्णिया, दिनांक-01-11-2025

प्रतिलिपिः- सभी लिपिक/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आयुक्त के सचिव/उप निदेशक, पंचायती राज/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/उप निदेशक, कल्याण/सभी प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Raj K.
01/11/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।